कृपया ध्यान दें

गैर बैंकिंग वित्तीय कंम्पनी के जमाकर्त्ता

- किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में अपनी राशि जमा करने से पहले कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा लेने वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
- जिस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीयन प्रमाणपत्र का आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकृत अथवा निरस्त किया जा चुका है वह कंपनी कोई जमा नहीं ले सकती और न ही वर्तमान जमाराशि का नवीकरण कर सकती है। @
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जारी किया गया पंजीयन प्रमाणपत्र केवल उसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने का प्राधिकार देता है। मूल जमाराशियों अथवा उन पर ब्याज की चुकौती का न तो भारतीय रिज़र्व बैंक गारंटी देता है और न ही वह किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा बीमाकृत है।
- उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद कंपनी अथवा अवशिष्ट गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी को छोड़कर, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशियां स्वीकार करती है उसे जमाराशि संग्रहण कार्यक्रम के लिए एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करना होगा।
- गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित नहीं कर सकती है -
  - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से अधिक दर पर ब्याज देने का प्रस्ताव जो कि वर्तमान में 12.5 प्रतिशत वार्षिक (केवल घरेलू जमाराशियों पर)।
  - जनता से जमाराशि प्राप्त करने के लिए अनुरोध करते समय कोई उपहार / प्रोत्साहन देना।
  - 12 महीनों से कम अथवा 60 महीनों से अधिक की अवधि के लिए जमाराशि स्वीकार करना।
- गैर-निगमित निकाय, जैसे व्यक्ति, स्वामित्व और साझेदारी फर्म जो कि ऋण और अग्रिम पट्टेदारी और किराया खरीद का कारोबार करते हैं, जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकते।
- गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी ◆ जमाराशि केवल उचित रसीद जारी करके ही स्वीकार कर सकती है। इस रसीद पर कंपनी का नाम, जमा की तारीख, जमाकर्त्ता का नाम, कंपनी द्वारा प्राप्त जमा के रूप में राशि शब्दों और अंकों में, जमाराशि पर देय ब्याज दर एवं जमाराशि की चुकौती की तारीख हो एवं इस पर एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो।
- यदि जमाराशि लेनें वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशियां अथवा उस पर उचित ब्याज दर नहीं चुकाती है तो प्रभावित जमाकर्त्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित एजेंसियों से संपर्क कर सकता है :-
  - जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच या
  - कंपनी विधि बोर्ड की क्षेत्रीय खण्डपीठ।
- अन्य कार्यकलापों में लगी हुई कंपनियों की जमा संग्रहण योजनाएं, जैसे बागान, पण्य व्यापार, विनिर्माण, आवास वित्त, बहुस्तरीय विपणन कंपनियां, निधि कंपनियां (म्युचुअल बेनिफिट वित्तीय कंपनियां) और संभावित निधि कंपनियां (म्युचुअल बेनिफिट वित्तीय कंपनियां) तथा सामूहिक निवेश योजनाओं, आदि में लगी हुई कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्र में नही आती हैं।

@ जिन कंपनियों के पंजीयन प्रमाणपत्र सम्बंधी आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं, उनकी सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। ऐसी कंपनियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in. पर उपलब्ध है।

◆ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऋण कंपनी, निवेश, किराया खरीद कंपनी और उपकरण पट्टेदारी कंपनी तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनहित में जारी

www.rbi.org.in